प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक जून 20, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 205 वाहनों का चालान किया गया तथा 07 वाहनों से 5500/- रु0 का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 85 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। साथ ही धारा 34 पुलिस एक्ट में 23 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

***थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त जयहिन्द पुत्र मुसई नि0 बरौली थाना परसमालिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बराद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त मोलहू पुत्र मिल्लू गोंड नि0 महसि थाना परसमालिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुचित गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश नि0 हरखपुरा थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त श्रवण पुत्र कैलाश नि0 नरकटहा थाना पनियरा जनपद महराजगजं के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बिक्कू केवट पुत्र रामबृक्ष नि0 हथिगढ़वा थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जितेन्द्र साहनी उर्फ गुल्लू पुत्र बुल्लू साहनी नि0 महदेइया थाना परसामलिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हरिकेश साहनी पुत्र लक्ष्मण नि0 मोहम्मदपुर हगना थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 245/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. शैलेष कुमार पुत्र गोविन्द 2. शिवम चौधरी पुत्र इन्द्र देव 3. हृदेश पुत्र रामबचन 4. मनीष प्रजापति पुत्र रामबेलाश नि0गण नरायनपुर थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

***विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 03 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

जनपद में 19/20.06.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 92 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।